न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –46 /2020 (प्रार्थना पत्र)

GCMS No. 2020/00161

1. रामनाथ आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम कादीहेडा तह0 कनवास जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

1. नेशनल ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि0, जरिये महाप्रबन्धक एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कार्यान्वयन ईकाई ए–504, इन्द्रा विहार कोटा (राज0)
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

———रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) नेशनल हाईवे ऑथोरिटी एक्ट 1956 एवं धारा 73(2) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थितः–

1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक प्रार्थी
2. सुश्री महेन्द्रा कुमारी वर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

निर्णय

दिनांक :– 22.09.2021

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं धारा 73 (2) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम तूमडा तहसील कनवास स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 25 रकबा 1.60 हे0 किस्म में से 0.9814 हे0 भूमि रामनाथ सहित

जिला कलेक्टर
कोटा

सहखातेदारों की अवाप्त की जाकर जारी अवार्ड दिनांक 28.06.2019 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया है ।

2. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.09.2020 को प्रस्तुत किया कि प्रार्थी एवं कैली बाई पत्नि स्व0 प्रभूलाल, मांगी बाई पुत्री प्रभूलाल मांगीलाल पुत्र गोपाल, रामनाथ आत्मज गोपाल, शांतिलाल आत्मज प्रभूलाल एवं सीता बाई पत्नि गोपाल के खाते एवं कब्जे की नया खाता संख्या 64 पुराना 61 के ख0नं0 24 रकबा 1.9 हे0 ख0नं0 25 रकबा 1.6 हे0, ख0नं0 26 रकबा 1.7 हे0 एवं ख0नं0 27 रकबा 0,11 हे0 आराजी वाके ग्राम तूमडा पटवार हल्का कुराड तहसील कनवास में स्थित है जिसके प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार एवं काबिज है । उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में कृषि सिंचित बारानी प्रथम के रूप में दर्ज है परन्तु प्रार्थी एवं सह खातेदारान के मध्य उपरोक्त आराजी के संबंध में आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है इसलिये सह खातेदारान को उक्त आराजी का हिस्सा नहीं लेना है । प्रार्थी द्वारा ख0नं0 24 व 25 में अन्य सह खातेदारों को सहमति प्रदान कर दी गई है इसी प्रकार से अन्य सह खातेदारों द्वारा ख0नं0 25 व 27 में प्रार्थी के पक्ष में सहमति आलेखित कर प्रतिपक्षी संख्या 2 के कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है । प्रार्थी को प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी पत्र दिनांक 6.11.2019 से यह विदित हुआ है कि ग्राम तूमडा के ख0नं0 25 रकबा 1.6 हे0 में से 0.9814 हे0, ख0नं0 26 रकबा 1.7 हे0 में से 0.3676 हे0 एवं ख0नं0 27 रकबा 0.11 हे0 की सम्पूर्ण आराजी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के लिए अवाप्त की जा चुकी है । प्रार्थी एवं सह खातेदारों के कब्जे की आराजी ख0नं0 25 रकबा 1.6 हे0, ख0नं0 26 रकबा 1.7 हे0 एवं ख0नं0 27 रकबा 0.11 हे0 वाके ग्राम तूमडा पटवार हल्का कुराड भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षै. कुराड की जो सडक के लगवा, डामरीकरण सडक व आबादी से 500 मीटर से लगती हुई सिंचित भूमि है जिनका मुआवजा सडक के लगवां डीएलसी दर के अनुसार गणना की गई है, जबकि एक अन्य आराजी ख0नं0 27, 26 का मुआवजा प्रतिपक्षीगण द्वारा सड़क के लगवां भूमि मानते हुए निर्धारित किया गया हैं और उसी के अनुसार प्रार्थी की अवाप्त की गई आराजी ख0नं0 25 रकबा 1.6 हे0 में से 0.9814 हे0 का मुआवजा भी उसी अनुसार किया जाना चाहिये क्योंकि ख0नं0 25 की भूमि अलग से न होकर उक्त आराजी ख0नं0 26 व 27 की सटवां आराजी है । उक्त आराजी के पुराने ख0नं0 सेटलमेंट के पश्चात नये ख0नं0 बनाये गये है वह एक ही आराजी के थे इसलिये उक्त आराजी का मुआवजा समान रूप से दिया जाना चाहिये था । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख0नं0 27 26 का मुआवजा प्रतिपक्षीगण द्वारा सडक के लगवां भूमि मानते हुए निर्धारित किया गया है और उसी के अनुसार प्रार्थी की अवाप्त की गई आराजी ख0नं0 25 रकबा 1.6 हे0 में से 0.9814 हे0 का मुआवजा भी उसी अनुसार तय किये जाकर दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से एडवोकेट महेन्द्रा कुमारी वर्मा एवं अप्रार्थी

जिला कलेक्टर
कोटा

नं0 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्रांक/3965 दिनांक 16.12.2020 रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली है । उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं कैली बाई पत्नि स्व0 प्रभूलाल, मांगी बाई पुत्री प्रभूलाल मांगीलाल पुत्र गोपाल, नामनाथ आत्मज गोपाल, शांतिलाल आत्मज प्रभूलाल एवं सीता बाई पत्नि गोपाल के खाते एवं कब्जे की नया खाता संख्या 64 पुराना 61 के ख0नं0 24 रकबा 1.9 हे0 ख0नं0 25 रकबा 1.6 हे0, ख0नं0 26 रकबा 1.7 हे0 एवं ख0नं0 27 रकबा 0.11 हे0 आराजी वाके ग्राम तूमडा पटवार हल्का कुराड तहसील कनवास में स्थित है जिसके प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार एवं काबिज है । उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में कृषि सिंचित बारानी प्रथम के रूप में दर्ज है परन्तु प्रार्थी एवं सह खातेदारान के मध्य उपरोक्त आराजी के संबंध में आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है इसलिये सह खातेदारान को उक्त आराजी का हिस्सा नहीं लेना है । प्रार्थी द्वारा ख0नं0 24 व 25 में अन्य सह खातेदारों को सहमति प्रदान कर दी गई है इसी प्रकार से अन्य सह खतेदारों द्वारा ख0नं0 25 व 27 में प्रार्थी के पक्ष में सहमति आलेखित कर प्रतिपक्षी संख्या 2 के कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है । प्रार्थी एवं सह खातेदारों के कब्जे की आराजी ख0नं0 25 रकबा 1.6 हे0, ख0नं0 26 रकबा 1.7 हे0 एवं ख0नं0 27 रकबा 0.11 हे0 वाके ग्राम तूमडा पटवार हल्का कुराड भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षै. कुराड तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित है जो सडक के लगवा, डामरीकरण सडक व आबादी से 500 मीटर से लगती हुई सिंचित भूमि है जिनका मुआवजा सडक के लगवां डीएलसी दर के अनुसार गणना की गई है, प्रार्थी को भी इसी अनुसार ख0नं0 25 की आराजी का मुआवजा दिलवाया जाना आवश्यक है । जबकि एक अन्य आराजी ख0नं0 27, 26 का मुआवजा प्रतिपक्षीगण द्वारा सड़क के लगवां भूमि मानते हुए निर्धारित किया गया है और उसी के अनुसार प्रार्थी की अवाप्त की गई आराजी ख0नं0 25 रकबा 1.6 हे0 में से 0.9814 हे0 का मुआवजा भी उसी अनुसार किया जाना चाहिये क्योंकि ख0नं0 25 की भूमि अलग से न होकर उक्त आराजी ख0नं0 26 व 27 की सटवां आराजी है । इस बाबत सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी महो0 कनवास द्वारा भी पत्र दिनांक 16.12.2020 से सहमति दी गई है जो पत्रावली में संलग्न है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख0नं0 27 26 का मुआवजा प्रतिपक्षीगण द्वारा सडक के लगवां भूमि मानते हुए निर्धारित किया गया है और उसी के अनुसार प्रार्थी की अवाप्त की गई आराजी ख0नं0 25 रकबा 1.6 हे0 में से 0.9814 हे0 का मुआवजा भी उसी अनुसार तय किये जाकर दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

5. वकील अप्रार्थी नं0 2 ने अपने जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ख0नं0 25 की 0.9814 हे0 निजी बारानी

जिला कलेक्टर
कोटा

प्रथम, खसरा नम्बर 26 की 0.3676 हे0 निजी बारानी प्रथम एवं खसरा नम्बर 27 की 0.11 हे0 निजी बारानी प्रथम शान्तिलाल, मांगीबाई आत्मज प्रभूलाल व केलीबाई पत्नि स्व. प्रभूलाल हि. 1/4 हि. बरा. मांगीलाल, रामनाथ पिता गोपाल बेवा गोपाल हि. 3/4 हि. बरा. कौम मीणा सा. कादीहेडा खातेदार वाके ग्राम तूमडा दर्ज थी । राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कनवास द्वारा प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि के साथ साथ धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.77(अ) दिनांक 04.01.2019 को जारी की जो भारत के राजपत्र में दिनांक 05.01.2019 को प्रकाशित की गयी उक्त अधिसूचना का सार दौ दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर में दिनांक 20.1.2019 व राजस्थन पत्रिका में दिनांक 21.1.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया । उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की भूमि खसरा नम्बर 25, की 0.9814 हे0 किस्म बारानी प्रथम निजी हितबद्व शान्तिलाल, मांगीबाई आत्मज प्रभूलाल व केलीबाई पत्नि स्व. प्रभूलाल हि. 1/4 हि. बरा. मांगीलाल, रामनाथ पिता गोपाल बेवा गोपाल हि. 3/4 हि. बरा. कौम मीणा सा. कादीहेडा जिला कोटा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कनवास द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3–जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत नियमानुसार किया गया । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा खसरा नम्बर 25 की 0.9814 हे0 बारानी प्रथम निजी वाके ग्राम तूमडा तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–ए के समय प्रचलित डीएलसी दर अथवा 3–ए की अधिसूचना के प्रकाशन के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान उसी प्रकार की भूमि के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों में से आधे विलेखों या करारों जिनकी उच्चतम विक्रय कीमत हो, की औसतन दर दौनों में से जो भी अधिक हो के अनुसार अवार्ड दिनांक 28.06.2019 द्वारा तय किया गया है । प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का जो मुआवजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अवार्ड दिनांक 28.06.2019 को निर्धारित किया गया है वह पूर्णरूप से विधि के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है तथा जिसमें किसी प्रकार की कोई अंकीय त्रुटि अथवा कमी नहीं है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं धारा 73 (2) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत प्रस्तुत किया है । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कनवास द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम तूमडा के खसरा नम्बर 25 की 0.9814 हे0 भूमि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु अवाप्ति हेतु एवार्ड 28.6.2019 को पारित कर दिया गया । कृषि भूमि का मुआवजा अवार्ड दिनांक 28.06.2019 को प्रतिपक्षी नं0 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कनवास द्वारा वक्त अवाप्ति अधिसूचना 3क की प्रचलित डीएलसी के आधार पर मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर मुआवजा तय किया गया है । वकील प्रार्थी का कथन कि ग्राम तूमडा की अन्य आराजी ख0नं0 27, 26 का मुआवजा प्रतिपक्षीगण द्वारा सड़क के लगवां भूमि मानते हुए निर्धारित किया गया है और उसी के अनुसार प्रार्थी की अवाप्त की गई आराजी ख0नं0 25 रकबा 1.6 हे0 में से 0.9814 हे0 का मुआवजा भी तया जाना चाहिये क्योंकि ख0नं0 25 की भूमि अलग से न होकर उक्त आराजी ख0नं0 26 व 27 की सटवां आराजी है । इस बाबत सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.12.2020 अनुसार ख0नं0 25 सडक सीमा से 500 मीटर से कम दूरी पर होना पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार माना है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उचित डी एल सी अनुसार ही अवाप्त भूमि का मुआवजा दिया जाना उचित मानते है । प्रार्थी की अवाप्त भूमि ख0नं0 25 की 0.9814 हे0 मौके की स्थिति सड़क सीमा से दूरी, तहसील की रिपोर्ट अनुसार 3–ए की अधिसूचना के समय की प्रचलित डी0एल0सी0 दर अनुसार गणना कर उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित मानते है ।

7. **परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रार्थी की अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, सड़क सीमा से दूरी, तहसील की रिपोर्ट अनुसार, 3–ए की अधिसूचना के समय की प्रचलित डी0एल0सी0 दर अनुसार गणना कर उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को नियमानुसार प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों के तहत कार्यवाही करें ।**

8. निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा
(जिला कलक्टर
कोटा